11- बन्धक सम्पत्ति का पुनः हस्तान्तरण

पृष्ठांकन द्वारा बन्धक का अन्तरण (जिसका बन्धककर्ता पक्षकार न हो) यह बन्धक के अन्तरण का विलेख आज 200 ..... के ..... के ..... दिन क.. ख.., आयु ..... आदि (मूल बन्धकदार) जिसे आगे चलकर ''अन्तरक'' (transferor) कहा गया है और जो इस करार का एक पक्षकार है, तथा ग.. घ... आयु ..... वर्ा, (जिसे आगे चलकर ''अन्तरिती'' (transferee) कहा गया है) और जो इस विलेख का दूसरा पक्षकार है, चूँकि उक्त ग.. घ.. द्वारा उक्त क.. ख ..को अब केवल ..... रूपये (..... ..... रूपये) की धनराशि के प्रतिफल हेतु, जो कि इस बन्धक पर आज तक की देय सम्पूर्ण धनराशि है, जिसका पंजीकरण उप निबन्धक कार्यालय... में संख्या... दिनांक.. को हुआ है, अन्तरक केवल ..... रूपये (... ..... रूपये) की उक्त धनराशि का जो कि इस विलेख में उल्लिखित प्रतिभूति के आधार पर देय है, तथा भविष्य में उक्त धनराशि पर देय ब्याज का तथा सभी प्रसंविदाओं तथा अन्य प्रतिभूतियों का सम्पूर्ण लाभों का, एतद्द्वारा अन्तरिती के पक्ष में अन्तरित करता है। जिससे कि वह केवल .... रूपये (.....रूपये) की उक्त मूलधन की धनराशि को तथा उस पर देय ब्याज को तथा एतद्द्वारा अन्तरिती को अन्तरित अन्य सभी भू– गृहादि को धारण, प्राप्त कर सके और ले सके। और यह विलेख यह भी साक्ष्य करता है कि उपर्युक्त प्रतिफल हेतु बन्धकदार के रूप में अन्तरक इस विलेख में उल्लिखित भूखण्ड, निवास–गृह, तथा भू–गृहादि तथा किसी भी प्रकार अन्तरक में निहित होने वाली अन्य अचल सम्पत्ति का अन्तरिती के पक्ष में समनुदेशन तथा अन्तरण करता है कि जिससे कि अन्तरित उक्त भू–खण्ड या निवासी–गृह, भवन तथा भू–गृहादि को इस लिखित विलेख के अधीन प्रदान की गई अवधि के शेष समय के लिए, इस बन्धक के विलेख में लिखित मोचन (redemption) के द्वारा तथा उसके अधीन, धारण कर सके और केवल .... रूपये (.....रूपये) की धनराशि तथा उस पर देय ब्याज की अदायगी हो जाने पर उनका अन्तरिती, उसके दायद, निष्पादक, प्रशासक या समनुदेषितों को अन्तरण कर देगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप उक्त क.. ख.. ने प्रथम बार उपरिलिखित दिन तथा वर्ष को ..... पर आगे चलकर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

(हस्ताक्षरित) क.. ख.. अन्तरक/अन्तरिती

साक्षीगण–(नाम, पिता का नाम व पता)

(1).....

(2).....